मध्य प्रदेश शासन स्कूल रिक्का विभाग मंत्रालय

वल्लव भवन-भोषाल- 462004

क्रमांक- स्य-73/17/28-5/2882, मोबाल, दिनांक 3/6/02

साचन, केन्द्रीय माध्योमक शिक्षा मंडल,

विष्य:- अशासकीय सेंट जरेसक कान्वेट श्रीजी माध्यम श्र हायर सेकेन्द्री स्कूल रांझी जवलबुर को सी. बी. एस. सी. से संबद्धता हेतु अनावित प्रमाण-बत्र बाबत्।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय सेंट जोसक कान्वेट श्रिंग्रेजी माध्यम् हायर सैकेण्ड्री स्कूल रांद्वी जवलमुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्ष्ण भंडल नई बिल्ली से संबद्धता हेनु अनामान्ति मुनाम-मन निम्नालिखत शतों गर दिया जाता है।

- र्मस्था की अवनी सिमित में एक वृतिनिधि जिला. शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके वृतिनिधि को शामिल करना होगा। तथा दूसरे वृतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंजीयक श्रृवरीक्षा है को या उनके वृतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा।
- 2/ नी तियत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।
- 3/

 य- प्रशासन द्वारा किला के प्रसार-प्रचार के लिये लिये गये निर्मायों में

 यदि संस्था के किन्हीं कार्यों की संस्थानंद्रों अवेशा की जाती है। तो ऐसे क

 कार्य की संस्था को करना अनिवार्य होगा।
- पि विलक्ष गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

 परंतु ऐसा न होने पर भी यदि म- प्रशासन स्कूल शिक्षण विभाग को इनके

 किसी वेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना

 अनिवार्य होगा।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संवादित करने के लिये यदि संस्था का भवन या स्टॉफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो इन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य

होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यबाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ह ए. के. जैन है उप सचिव मध्यप्रदेशक्तासन, स्कूल शिक्षा विभाग

「中華中華一73/17/20-5/2002,

मोपाल, दिनांक 13-62002

प्रतिनिष:-

आयुक्त, लोक शिक्ष्मं म. व. भोषाल की और क्रमांक- विधा/वी./9/82 दिना क 29. 5. 02 कें संदर्भ में स्वनार्थ।

जिला िक्षा अधिकारी जबलपुर।

प्राचार्य सेंट जोसक कान्वेंट हुअग्रेजी माध्यमहूँ हायर सेकेन्द्री स्कूल रांडी जबलपुर । की और स्वनार्थ प्रेष्यत ह ।

मध्य प्रदेश शासन, स्कृत रिक्षा विभाग